ISSN - 2229-3620
NSI
शोध संचार बुलेटिन
October-December, 2023
Vol. 13, Issue 52
Page Nos. 112-115
AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

भारत में महिला शिक्षा और महिलाओं का विकास

डॉ. प्रदीप कुमार एक्का*

शोध सारांश

जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था– "एक आदमी को शिक्षित करें और आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। एक महिला को शिक्षित करें और आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं।" भारत में महिला शिक्षा आधुनिक सभ्यता की देन नहीं है। भारत हमेशा सभी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मोर्चे पर महिलाओं के मुद्दों का एक अथक चैंपियन रहा है। नीति निर्माता सचेत हो गए हैं कि वास्तविक विकास जड़ नहीं पकड़ सकता है यदि वह महिलाओं को दरकिनार कर देता है, जो उस आवश्यक हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसके चारों ओर सामाजिक परिवर्तन को आकार लेना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और वैचारिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे विकासों ने भी जड़ें जमा ली हैं। समता के साथ वृद्धि से, आर्थिक विकास से मानव विकास तक और सेवा बंदोबस्ती से सशक्तिकरण तक, विकास के प्रतिमानों ने निश्चित रूप से एक लंबा सफर तय किया है। भारत में महिलाओं का विकास – जो 1991 की जनगणना के अनुसार 48.1 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं। आजादी के बाद से देश की आबादी ने हमारी विकास योजना में केंद्र–स्थल पर कब्जा कर लिया है।

Keywords : भारत, महिला, सशक्तिकरण, विकास, जनगणना।

एक महिला का जीवन विभिन्न पड़ावों से होकर गुजरता है। यदि महिला में शिक्षा का समुचित विकास होता रहा तो महिलाओं के साथ समाज का भी विकास होता रहेगा। आदि काल से महिला जीवन समाज के अध्ययन और विश्लेषण का एक प्रमुख केन्द्र रहा है–

प्राचीन काल– स्त्री शिक्षा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। पुराने समय में महिलाओं को गुरुकुलों में प्रवेश की अनुमति थी। उन्होंने ऋग्वैदिक सूक्तों की रचना भी की। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और इसलिए विद्या की देवी की कल्पना एक महिला के रूप में की गई, जिसे "सरस्वती" के नाम से जाना जाता था, जिसका आज भी पालन किया जाता है। हालाँकि यह सब घट गया और अंग्रेजों के आने तक स्थिति और खराब हो गई। सामाजिक सुधार आंदोलन, जो पश्चिमी सभ्यता के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए, ने महिलाओं को शिक्षित करने पर बल दिया। महिलाओं की शिक्षा का अग्रणी कार्य ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और डेनिश, अमेरिकी, जर्मन और ब्रिटिश मिशनरी समाज जैसे सामाजिक–धार्मिक सुधार निकायों द्वारा किया गया था।

समाज में महिलाओं की भूमिका– पिछले कुछ दशकों में समाज में महिलाओं की भूमिका पर काफी ध्यान दिया गया है, लेकिन अब यह लोगों के लिए अधिक परिप्रेक्ष्य में आ रही हैं। इन्हें अपने जीवन में बहुत अधिक जिम्मेदारी का सामना करना पड़ता है।

बालिका शिक्षा का महत्व– पहले भारत में बालिका शिक्षा का पारंपरिक मूल्य मातृत्व सिखाना, बच्चों का पालन–पोषण करना और घर की देखभाल करना था। हार्टोग समिति (सर फिलिप हार्टोग), 1929 ने लड़की और महिलाओं की आवश्यकता और महत्व को पूरी तरह से महसूस किया। विशेष रूप से उच्च स्तर पर महिलाओं की शिक्षा देश को क्षमता का खजाना उपलब्ध कराएगी जो अब अवसर की कमी के कारण बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गया है। शिक्षा के माध्यम से ही भारतीय महिलाएं देश की संस्कृति, आदर्शों और गतिविधियों को माप सकेंगी। साथ ही प्राथमिक विद्यालय में बड़े पैमाने पर उच्च नामांकन इंगित करता है कि जनता की पुरानी उदासीनता टूट रही है, जिससे एक लड़की और बाद में महिलाओं का सशक्तिकरण होता है।

महिलाओं के लिए शिक्षा और अधिकारिता

महिला सशक्तिकरण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका– उस व्यवस्था से बड़ी संख्या में महिलाएं उभर रही हैं जिसने सदियों से उनका दमन और शोषण किया था। चूंकि शिक्षा एक महंगी और लंबी प्रक्रिया है, जनसंचार माध्यमों का उद्देश्य जनता

*सहायक प्राध्यापक – राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, छत्तीसगढ़

को अपेक्षाकृत कम लागत पर शिक्षित करना है। यह महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्म–सम्मान पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान हासिल करने में उनकी मदद कर सकता है। टेलीविजन और रेडियो मुख्य स्रोत हैं क्योंकि वे ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुँच सकते हैं।

महिला सशक्तिकरण में रोजगार की भूमिका– मानव संसाधनों का पूर्ण और प्रभावी उपयोग अर्थव्यवस्था को विकसित करने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक साधन है। महिलाओं के एकीकरण की मुख्य धारा के विकास के लिए रोजगार को उनके "महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु" के रूप में मान्यता दी गई है।

कम साक्षरता दर के कारक–

लिंग आधारित असमानता– यह भारत में अत्यधिक प्रचलित है। महिलाओं और लड़कियों को पुरुषों या लड़कों के बराबर नहीं माना जाता है। लोगों की यह सोच बदल रही है कि बेटी एक बोझ होती है।

घरेलू सहायिका के रूप में लड़कियों का व्यवसाय– ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश युवा लड़कियों को स्कूल से बाहर कर दिया जाता है और घरेलू नौकर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यही कारण है कि स्कूल छोड़ने वालों की इतनी अधिक दर है।

अन्य कारण– शोषण, यौन शोषण कुछ अन्य कारण हैं जिनकी वजह से माता–पिता अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं।

महिलाओं की शिक्षा के लिए आवश्यकता

महिला सशक्तिकरण– यह भारत में महिला शिक्षा की आवश्यकता का एक प्रमुख कारण है। यदि एक महिला शिक्षित होगी तो इससे उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा और इसका परिणाम सशक्तिकरण होगा।

आर्थिक– यदि महिलाएं शिक्षित और सशक्त होंगी तो वे परिवार के लिए आय का एक स्रोत भी होंगी। इससे न केवल परिवार के जीवन स्तर में बल्कि देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आखिर किसी देश की आर्थिक स्थिति तभी विकसित होगी जब सभी नागरिक समृद्ध होंगे।

फ़ायदे

परिवार की आय में वृद्धि– यदि कोई लड़की शिक्षित है तो वह आवश्यकता पड़ने पर नौकरी भी कर सकती है। इसलिए उसे परिवार पर बोझ नहीं माना जाएगा। इससे कन्या भ्रूण हत्या पर भी लगाम लगेगी।

सामाजिक कुरीतियों पर रोक– शिक्षा वास्तव में सबसे मूल्यवान उपहार है जो माता–पिता अपनी बेटी को दे सकते हैं। एक शिक्षित पत्नी के रूप में परिवार नियोजन में भी उनकी रुचि होगी। अध्ययनों से पता चला है कि अशिक्षित महिलाओं में उच्च प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर होती है। कई महिलाएं अधिक बच्चे पैदा करना पसंद करती हैं ताकि वे बुढ़ापे में उनकी देखभाल कर सकें। लेकिन शिक्षित होने के कारण वह निश्चित रूप से एक छोटे परिवार के फायदों को समझेगी जो अधिक जनसंख्या और गरीबी जैसी समस्याओं से निपटने में मदद करेगा। साथ ही शिशु मृत्यु दर का मां के शैक्षिक स्तर से विपरीत संबंध होता है। उदाहरण के लिए, केरल में महिला साक्षरता अनुपात उच्चतम (87.86%) है और उच्चतम जीवन प्रत्याशा के साथ शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार में जहाँ महिला साक्षरता अनुपात सबसे कम है, जीवन प्रत्याशा भी सबसे कम है।
घरेलू गतिविधियों में भाग लेना– शिक्षित होने के कारण वह परिवार की दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों में भाग ले सकेगी। यह केवल एक और आवाज और एक राय जोड़ देगा।

एक शिक्षित मां अपने अनपढ़ समकक्ष की तुलना में परिवार के स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूक होगी।

अन्य कारण– अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि शिक्षा का अभाव परिवार के सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अपने बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य के अलावा अच्छे नैतिक मूल्यों को विकसित करना किसी भी शिक्षित माँ की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होगी। लंबे समय में, अच्छी तरह से पले–बढ़े बच्चे एक संपत्ति हैं जिसे कोई भी समाज अपने पास रखना पसंद करेगा। इसी तरह सभ्यता आगे बढ़ती है और बढ़ती है।

राष्ट्रव्यापी जनसांख्यिकी

लिंगानुपात– प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यह आमतौर पर भारत में प्रतिकूल है। 1981 को छोड़कर वर्षों में इसमें गिरावट आई है, जब इसमें थोड़ा सुधार हुआ। भारत में केरल शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। प्रति 1000 पुरुषों पर 1058 महिलाएं हैं।

साक्षरता दर– 2011 की जनगणना के अनुसार, "7 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है, साक्षर कहा जाता है"। इस कसौटी के अनुसार, 2011 के सर्वेक्षण में राष्ट्रीय साक्षरता दर लगभग 74.07% है। 2001 के सरकारी आंकड़े भी मानते हैं कि साक्षरता में वृद्धि की दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। महिला साक्षरता 65%के राष्ट्रीय औसत पर थी जबकि पुरुष साक्षरता 82% थी। भारतीय राज्यों के भीतर, केरल ने 93% की उच्चतम साक्षरता दर दिखाई है, जबकि बिहार में साक्षरता का औसत 63.8% है। 2001 के आँकड़ों ने यह भी संकेत दिया कि देश में 'पूर्ण निरक्षरों' की कुल संख्या 304 मिलियन थी। महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में काफी कम है। शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता ही नहीं है बल्कि साक्षरता निश्चित रूप से महिलाओं की शिक्षा और विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से एक है। शिक्षा और विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से एक साक्षरता

है।

सामाजिक बुराइयों से संबंधित–

1. गरीबी–गरीबी वह स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ठीक से नहीं कर पाता है। गरीबी अविकसितता के कारण होती है। अविकसितता आमतौर पर लोगों, विशेषकर महिलाओं में शिक्षा की कमी के कारण होती है।
2. कन्या भ्रूण हत्या– अधिकांश अशिक्षित लोगों की यह मानसिकता होती है कि लड़के आय का एक अतिरिक्त स्रोत हो सकते हैं और एक लड़की परिवार पर बोझ होती है। हालाँकि अगर घर की महिलाएँ शिक्षित होती हैं तो सोच बदल सकती है और तब से भी शिक्षित महिलाएं भी परिवार के लिए काम कर सकती हैं और कमा सकती हैं, उन्हें बोझ नहीं माना जाएगा।
3. अधिक जनसंख्या–शिक्षित महिलाओं को एक बड़े परिवार के नुकसान के बारे में ज्ञान होता है और इसलिए वे परिवार नियोजन का विकल्प चुनेंगी और एक एकल परिवार को प्राथमिकता देंगी। इससे देश की जनसंख्या को स्थिर करने में मदद मिलेगी।
4. मातृ मृत्यु दर– पुराने दिनों में मातृ मृत्यु दर अधिक थी क्योंकि कम उम्र में महिलाएं कम से कम तीन बच्चों को जन्म देती थीं और इसलिए वे कमजोर हो जाती थीं। लेकिन शिक्षा पूरे परिप्रेक्ष्य को बदल देती है और जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह जनसंख्या को कम करती है और इसलिए मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी।
5. कम प्रति व्यक्ति आय–यदि महिलाओं को शिक्षित किया जाता तो वे परिवार के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत होतीं। इससे परिवार के राजस्व में वृद्धि होगी और इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी।

सरकार की रणनीतियाँ – अधिकार और विशेषाधिकार

भारत का संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने का अधिकार भी देता है ताकि उनके सामाजिक–आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक नुकसान को दूर किया जा सके। मौलिक अधिकार, दूसरों के बीच कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करते हैं, कानून की समान सुरक्षा, धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव को रोकते हैं, और रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करते हैं। . अनुच्छेद 14 पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 15(3) एक विशेष प्रावधान करता है जो राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने में सक्षम बनाता है। इसी तरह, अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में अवसरों की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 39 (ए) आगे उल्लेख करता है कि राज्य अपनी नीति को सभी नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के साधनों का अधिकार हासिल करने के लिए निर्देशित करेगा, जबकि अनुच्छेद 39 (सी) समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 42 राज्य को निर्देश देता है कि वह काम की उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करे। इन सबसे ऊपर, संविधान ने अनुच्छेद 15 (ए) (ई) के माध्यम से महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने के लिए प्रत्येक नागरिक पर मौलिक कर्तव्य लगाया है।

महिला और 5 वर्षीय योजना– महिला विकास की अवधारणा मुख्य रूप से पहली पंचवर्षीय योजना (1951–56) में उन्मुख थी। 1953 में स्थापित केंद्र समाज कल्याण बोर्ड (CSWB) ने स्वेच्छा से महिलाओं के कल्याण के लिए काम किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–61) में महिलाओं के विकास के लिए जमीनी स्तर पर केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए महिलाओं को महिला मंडलों में संगठित किया गया था। तीसरी, चौथी और अन्य अंतरिम योजनाओं (1961–74) में महिलाओं को शिक्षित करने को उच्च प्राथमिकता दी गई। पांचवीं योजना (1974–78) में महिलाओं के विकास के दृष्टिकोण में 'कल्याण' से 'विकास' में परिवर्तन हुआ। इसका उद्देश्य विकासात्मक सेवाओं के साथ कल्याण का एकीकरण करना था। छठी योजना (1980–85) छठी योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर तीन आयामी जोर के साथ एक बहु–अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। सातवीं योजना (1985–90) में, महिलाओं के लिए विकास कार्यक्रम जारी रहे। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना और उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाना प्रमुख उद्देश्य है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97), जिसे 1992 में शुरू किया गया था, यह सुनिश्चित करने का वादा करती है कि विभिन्न क्षेत्रों से विकास के लाभ महिलाओं को दरकिनार न करें और सामान्य विकास कार्यक्रमों के पूरक के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किए जाएंगे।

योजना– 1976 में अपनाई गई महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनपीए) 1988 तक महिलाओं के विकास के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज बन गई, जब महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) (1988–2000) विशेषज्ञों के एक कोर–ग्रुप द्वारा तैयार की गई कमोबेश एक दीर्घकालिक नीति दस्तावेज है जो महिलाओं के विकास के लिए एक समग्र

दृष्टिकोण की वकालत करता है। 'श्रम शक्ति' – की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय आयोग अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजित महिलाएं और महिलाएं (1988) असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के सामने आने वाले सभी मुद्दों की जांच करती हैं और रोजगार, व्यावसायिक खतरों, विधायी संरक्षण, प्रशिक्षण और कौशल विकास, विपणन और महिलाओं के लिए क्रेडिट से संबंधित कई सिफारिशें करती हैं। बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NPA) 1991–2000 एक एकीकृत बहु–क्षेत्रीय दशकीय कार्य योजना है। बालिकाओं और किशोरियों के लिए विशेष लिंग संवेदनशीलता के साथ बच्चों के अस्तित्व, सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना है। इनके अलावा, कई अन्य महिला–संबंधित नीतियां हैं जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1966, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 1983, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम (एनसीडब्ल्यू) 1990, जो देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास को प्रभावित करती रही हैं।

निष्कर्ष–

देश के विकास के लिए महिला शिक्षा और सशक्तिकरण जरूरी है। भारत में महिला आबादी लगभग 50% है। शिक्षा, जनसंचार माध्यमों, रोजगार के अवसरों और आत्मविश्वास को बढ़ाकर महिला सशक्तिकरण और विकास का प्रचार किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण में 3 बुनियादी पहलू शामिल हैं– शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता। महिलाएं तभी सशक्त हो सकती हैं जब वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों। शिक्षा और स्वास्थ्य महिला सशक्तिकरण के अन्य पहलू हैं। एक अर्थव्यवस्था में रहने वाले सभी लोगों की समृद्धि पर निर्भर करती है। इसलिए पुरुष और महिला दोनों को सशक्त होना चाहिए। महिलाओं के सशक्त होने से महिलाओं से जुड़ी सामाजिक कुरीतियों में भी कमी आएगी। महिलाओं का विकास न केवल सामाजिक लाभ होगा बल्कि आर्थिक लाभ भी होगा। यह देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है, यह प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि करेगा। महिला शिक्षा आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है क्योंकि यह देश की प्रगति में मदद करेगी। दुनिया में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसलिए हमें उन्हें वह देना चाहिए जिसकी वे हकदार हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाना ही देश को सशक्त बनाना है। नारी शिक्षा की ओर पहला कदम शिक्षा है। स्व–शिक्षा भी आयात है।

सन्दर्भ :–

पुस्तकें

1. माइनेनी, एस.आर., प्रिसिपल्स ऑफ इकोनॉमी, 2000, पृष्ठ 56
2. कश्यप, सुभाष सी, अर्जेंसी ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड प्राइमेसी ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, उप्पल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1998,

वेबसाइट

1. http://www.nlm.nic.in/women.htm
2. http://vibranthistory.blogspot.com/2007/07/female-education-in-india.html
3. https://www/cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/in.html
4. http://www.indianembassy.org/Policy/Children_Women/rights_privileges.html
5. http://www.indianembassy.org/Policy/Children_Women_policies_women.html